



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत सरकार के बजटीय व्ययों में वृद्धि के कारणों का वैगनर के राजकीय व्यय वृद्धि सिद्धांत से तुलनात्मक अध्ययन

रामखगेश पटेल

शोधार्थी— महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड

विश्वविद्यालय छतरपुर मध्यप्रदेश

डॉ. ओ पी अरजरिया

(प्राध्यापक)

महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड

विश्वविद्यालय छतरपुर मध्यप्रदेश

सार—संक्षेप

वर्तमान समय में चाहे कोई भी देश हो या उस देश में अर्थव्यवस्था का कोई भी स्वरूप अपनाया जा रहा हो, उसके राजकीय व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि के बहुत से कारण हैं, क्योंकि आधुनिक सरकारों की राजनैतिक पदों में बने रहने की महत्वाकांक्षा तथा अधिकतम समाज कल्याण की वजह से सरकार के सार्वजनिक व्ययों में बहुत ही अधिक वृद्धि हो गयी है। इसी कारण आधुनिक सरकारों के कल्याण—कारी सरकारों के नाम से भी जानी जा रही है।

वैगनर के राजकीय व्यय वृद्धि सिद्धांत की पृष्ठ भूमि:—

प्राचीन अर्थशास्त्रियों का मानना था कि सरकार को अधिक राजकीय व्ययों में खर्च नहीं करना चाहिए क्योंकि सरकार को इन सार्वजनिक व्ययों की भरपाई करने के लिए जनता पर अधिक कर लगाना पड़ेगा जिससे जनता की बचतों में कमी आयेगी और इस वजह से उनकी कार्य करने की इच्छाशक्ति में कमी आयेगी। प्राचीन समय में सरकार का मुख्य कार्य देश की आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा तथा न्याय व्यवस्था तक सीमित था। वैगनर ने अपने सिद्धांत में इन अर्थशास्त्रियों के विचारों का विरोध किया और कहा कि आधुनिक सरकार का कार्य परम्परागत कार्यों के अतिरिक्त नवीन कार्य जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई, जल प्रबंधन, सामाजिक कल्याण, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, जीवन स्तर को ऊपर उठाना, आर्थिक विकास, सामाजिक – न्याय जैसे कार्य करने पड़ रहे हैं जिससे इन सरकार के राजकीय व्ययों में लगातार वृद्धि हो रही है। इस शोध पत्र में भारत सरकार के राजकीय व्यय एवं वैगनर के व्यय वृद्धि सिद्धान्त का सापेक्षिक अध्ययन किया गया है।'

वैगनर के राजकीय व्यय वृद्धि सिद्धांत:—

एडॉल्फ वैगनर (25 मार्च 1835 – 8 नवंबर 1917) एक जर्मन अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ, एक प्रमुख कैथेडर्सोजियालिस्ट (अकादमिक समाजवादी) और सार्वजनिक वित्त विद्वान और कृषिवाद के समर्थक थे। वैगनर के राज्य गतिविधि को बढ़ाने के नियम का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है।

वैगनर का नियम , जिसे राज्य गतिविधि बढ़ाने के नियम के रूप में भी जाना जाता है , उनका अवलोकन यह है कि राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ सार्वजनिक व्यय भी बढ़ता है। उन्होंने पहले अपने देश जर्मनी में और फिर अन्य देशों में इसका प्रभाव देखा।

यह सिद्धांत औद्योगीकरण से निकटता से जुड़ा हुआ है। यह भविष्यवाणी करता है कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था के विकास के साथ-साथ सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सार्वजनिक व्यय की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। आधुनिक औद्योगिक समाज के आगमन से सामाजिक प्रगति के लिए राजनीतिक दबाव बढ़ेगा और उद्योग द्वारा सामाजिक कल्याण के लिए भत्ते में वृद्धि होगी।²

कल्याणकारी राज्य का संपादन :-

वैगनर का नियम बताता है कि कल्याणकारी राज्य, मुक्त-बाजार (पूंजीवाद) से विकसित होते हैं क्योंकि आय बढ़ने के साथ जनसंख्या लगातार बढ़ती सामाजिक सेवाओं के लिए वोट करती है। कुछ अस्पष्टता के बावजूद, औपचारिक रूप से वैगनर के बयान की व्याख्या रिचर्ड मसग्रेव ने इस प्रकार की है

जैसे-जैसे प्रगतिशील राष्ट्र औद्योगिकीकरण करते हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जाती है। राज्य व्यय में वृद्धि की आवश्यकता तीन मुख्य कारणों से है।

वैगनर ने स्वयं इन्हें -

- (1) राज्य की सामाजिक गतिविधियों,
- (2) प्रशासनिक और सुरक्षात्मक कार्यों, और
- (3) कल्याणकारी कार्यों के रूप में पहचाना।

निम्न बिन्दु वैगनर के मूल आधार की स्पष्ट व्याख्या करते हैं रू सामाजिक-राजनीतिक , अर्थात्, समय के साथ राज्य के सामाजिक कार्यों का विस्तार होता है रू सेवानिवृत्ति बीमा , प्राकृतिक आपदा सहायता (या तो आंतरिक या बाहरी), पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, आदि। आर्थिक रू विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति हुई है, परिणामस्वरूप विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विभिन्न निवेश परियोजनाओं आदि में राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई है। ऐतिहासिक रू राज्य आकस्मिकताओं को कवर करने के लिए सरकारी ऋण का सहारा लेता है, और इस प्रकार सरकारी ऋण और ब्याज राशि का योग बढ़ता है यानी, यह ऋण सेवा व्यय में वृद्धि है।³

वैगनर का नियम लागू होने के कारण :-

डाल्टन के अनुसार वैगनर के नियम तीन दशाओं में लागू होते हैं:-

1. क्योंकि आर्थिक प्रगति के कारण सार्वजनिक संस्थाओं की कार्यकुशलता निजी संस्थाओं से अधिक हो जाती है, क्योंकि
 1. सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा उत्पादित माल अच्छी किस्म का होता है। बाजार में वस्तु की कमी नहीं हो पाती। सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी आसानी से उपलब्ध हो जाती है।
 2. सार्वजनिक व्यय से ऐसी सेवाएं उत्पन्न होती हैं जिनका उपयोग संपूर्ण समाज कर सकता है जैसे- स्कूल, अस्पताल, पार्क इत्यादि।
 3. कुछ ऐसी सेवायें जिनको निजी संस्था नहीं कर सकती उनको राज्य सम्पन्न कर सकता है। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती जा रही है।

वैगनर के मतानुसार सरकारी सेवाओं के लिए आय की लोच इकाई से अधिक होती है।

वैगनर के अनुसार राज्य की बढ़ती हुई गतिविधियों के कारण प्रति व्यक्ति आय और उत्पादन में जैसे ही वृद्धि होती है तो औद्योगिक देशों में सार्वजनिक क्षेत्र में आवश्यक रूप में कुल आर्थिक गतिविधियों के अनुपात में वृद्धि होती है।⁴

सार्वजनिक व्यय में निरंतर वृद्धि होने के कारण :-

- वैगनर की परिकल्पना में सार्वजनिक व्यय में निरंतर वृद्धि होने के निम्नलिखित कारण हैं⁵ :-

1. सामाजिक क्रियाकलापों में लगातार विस्तार
2. युद्ध के लिए तैयारी
3. जनसंख्या एवं नगरीकरण का विकास
4. मूल्यों में वृद्धि
5. जीवन की आधुनिक जटिलताएं
6. आर्थिक नियोजन की भूमिका
7. सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका
8. प्रजातंत्र का भार

एडॉल्फ वैगनर के राज्य की गतिविधियाँ बढ़ने के नियम का महत्त्व:-

राज्य की गतिविधियों को बढ़ाने का नियम कहता है कि आर्थिक वृद्धि और विकास के साथ एक राष्ट्र सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों में वृद्धि का अनुभव करेगा। वृद्धि के अनुपात से प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि होगी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद के लिए सार्वजनिक उपभोग व्यय का अनुपात बढ़ेगा और इसलिए जीएनपी में वृद्धि होगी।

जर्मन अर्थशास्त्री एडॉल्फ वैगनर ने राज्य की गतिविधियों को बढ़ाने का नियम प्रतिपादित किया। उन्होंने विकास के स्तर और सार्वजनिक व्यय के बीच संबंध बताया।

वैगनर के अनुसार जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राज्य (सरकार) की गतिविधियाँ और कार्य बढ़ जाते हैं। उन्होंने विभिन्न देशों की सरकारों के राजकीय व्यय प्रणालियों की तुलना के आधार पर यह बात कही। अध्ययन से पता चला कि प्रगतिशील समाजों में केन्द्रीय एवं स्थानीय सरकार की गतिविधियाँ नियमित रूप से बढ़ती रहती हैं।

- वे पुराने और नए दोनों कार्यों को अधिक कुशलतापूर्वक और पूरी तरह से करते हैं। सरकारी गतिविधियों में वृद्धि व्यापक और गहन दोनों रूपों में होती है।

- सरकार जनहित में और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने

के लिए नए कार्य करती है। सरकारी कार्यों के विस्तार और गहनता से सार्वजनिक व्यय बढ़ता है।

- राज्य गतिविधियों को बढ़ाने के नियम को सही ठहराने के लिए उन्होंने सार्वजनिक व्यय को दो भागों में विभाजित किया बाहरी व्यय और आंतरिक व्यय और बताया कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था के विकास के साथ – साथ सार्वजनिक व्यय क्यों बढ़ेगा।

जैसे-जैसे सरकार का रणनीतिक दृष्टिकोण बाहरी आक्रमणों और हमले की रोकथाम की ओर बढ़ता है, बाहरी व्यय बढ़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र की वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ने के कारण भी इसमें वृद्धि होती है।


- आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप आर्थिक इकाइयों और लोगों के बीच अधिक घर्षण, लोगों के उच्च जीवन स्तर, पूंजी तक आसान पहुंच, बड़ी प्रशासनिक इकाइयों का रखरखाव आदि के कारण आंतरिक व्यय बढ़ता है।

एडॉल्फ वैगनर ने यह भी तर्क दिया कि सरकारी सेवाओं के लिए आय लोच एकता से अधिक है यानी जनता की आय में वृद्धि की तुलना में सार्वजनिक व्यय अधिक तेजी से बढ़ेगा। इसे प्रमाणित करने के लिए उन्होंने ऐसे चर दिए जो सार्वजनिक व्यय की मांग और आपूर्ति को प्रभावित करते हैं।

भारत सरकार के राजकीय व्यय 2016-17 से 2023-24 तक

वित्तीय वर्ष	कुल व्यय (करोड़ ₹)	प्रतिशत परिवर्तन वृद्धि दर
2016-17 वास्तविक	1975194	-
2017-18 वास्तविक	2141973	8.44%
2018-19 वास्तविक	2315113	8.08%
2019-20 वास्तविक	2686330	16.03%
2020-21 वास्तविक	3509836	30.65%
2021-22 वास्तविक	3793801	8.09%
2022-23 संशोधित अनुमान	4187232	10.37%
2023-24 बजट अनुमान	4503097	7.54%
औसत	3139072	12.74%

स्रोत भारत सरकार के बजट आंकणों का सार संग्रह



उपरोक्त तालिका में भारत सरकार के कुल सार्वजनिक व्ययों को साल दर साल (2016-17 से 2023-24 तक के) कुल व्यय वृद्धि तथा प्रतिशत परिवर्तन में वृद्धि को दिखाया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल व्यय ₹ 1975194 करोड़ था जो 2023-24 तक के बजट अनुमान में बढ़कर ₹ 4503097 तक पहुंच गए तथा अगर वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक के सार्वजनिक व्यय की बात की जाए तो ये प्रतिवर्ष औसत रूप में ₹3139072 करोड़ रहे हैं।


दूसरी तरफ अगर इनके प्रतिशत परिवर्तन की बात की जाए तो इनमें वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2017-18 में 8.44: की वृद्धि दर्ज की गई 2023-24 में 7.54: की घाटी हुई वृद्धि दर है। लेकिन वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2019-20 में लगभग दुगनी वृद्धि दर 8.08: से 16.03: दर्ज की गई, और वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2020-21 में भी 16.03: से बढ़कर 30.65: की वृद्धि देखी गई। इसका मुख्य कारण मार्च 2020 की कोरोना महामारी के कारण सरकार द्वारा गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने तथा स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के कारण देखी गई। इसी कारण वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक 12.74: की औसत वृद्धि दर सार्वजनिक व्ययों में देखी गई।

भारत सरकार के राजकोषीय व्ययों की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में हिस्सेदारी

2016-17 से 2023-24 तक

वित्तीय वर्ष	सकल घरेलू उत्पाद (GDP) करोड़ ₹ में	कुल सार्वजनिक व्यय (करोड़ ₹ में)	GDP में सार्वजनिक व्ययों की % हिस्सेदारी
2016-17 वास्तविक	15075429	1975194	13.10
2017-18 वास्तविक	16784679	2141973	12.76
2018-19 वास्तविक	18840731	2315113	12.29
2019-20 वास्तविक	20442233	2686330	13.14
2020-21 वास्तविक	19481975	3509836	18.02
2021-22 वास्तविक	23214703	3793801	16.34
2022-23 संशो. अनु.	27307751	4187232	15.33
2023-24 बजट अनु.	30175065	4503097	14.92
औसत	21415321	3139072	14.48

स्रोत भारत सरकार के बजट आंकणों का सार संग्रह



उपरोक्त तालिका में भारत सरकार के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में सार्वजनिक व्ययों की हिस्सेदारी तथा उनकी प्रतिशत हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक को दिखाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारतीय अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद ₹15075429 करोड़ था तथा इस समय कुल सार्वजनिक व्यय ₹1975194 करोड़ थी और इनकी प्रतिशत 13.10: थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष बढ़कर ₹30175065 करोड़ तक पहुंच गया तथा इस समय सरकार के सार्वजनिक व्यय भी बढ़कर ₹4503097 करोड़ तक पहुंच गए तथा इनकी प्रतिशत हिस्सेदारी 14.92: थी।

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक सकल घरेलू उत्पाद में कुल सार्वजनिक व्ययों की औसत हिस्सेदारी 14.48: रही जो हर वर्ष लगभग बराबर की हिस्सेदारी को प्रदर्शित करता है।

निष्कर्ष:- उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है की आज भारत सरकार के बजटीय व्ययों में जहां बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई है वहीं इसके कार्यक्षेत्र में भी व्यापक विस्तार हुआ है। शोध अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलकर सामने आया है कि सरकार के बजटीय व्ययों में जहां वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक औसत वृद्धि दर प्रतिवर्ष 12.74: रही है वहीं सकल घरेलू उत्पाद में राजकीय व्ययों की औसत प्रतिशत हिस्सेदारी 14.48 के आस- पास रही है।

उपरोक्त अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि वैगनर का बढ़ते हुए राजकीय व्यय का सिद्धांत भारत में पूर्णतः लागू होता है, इसका मुख्य कारण देश की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा से लोक कल्याणकारी योजनाओं का सफलतम संचालन करना है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

- 1- डॉ० एस०एन०लाल- 'लोक वित्त' पेज.नं. 60 शुभम पब्लिशिंग हाउस प्रयागराज
- 2- डॉ० जे०सी० वार्णयन- 'लोक वित्त' पेज.नं. 479 एस.बी.पी.डी. पब्लिशिंग हाउस आगरा
- 3- डॉ० जे०सी० पन्त- 'राजस्व' पेज.नं. 442 एकादशम संस्करण लक्ष्मी नारयण अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा
- 4- डॉ० के०एल० गुप्ता- 'राजस्व' पेज.नं.72 साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा(2013)
- 5- डॉ० एच०एल० भाटिया- 'लोक वित्त' पेज.नं. 188 विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा.लि. नई दिल्ली-110014